राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7(112)/परि/नियम/मु0/96/पार्ट–I 9584 — जयपुर, दिनांक 24/6/2020

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
....समस्त।

विषयः– नौकाओं की फिटनेस एवं लाईसेंस जारी/जांच किये जाने बाबत्।

राज्य के विभिन्न जलाशयों/नदियों में संचालित नौकाओं का उपयोग जल परिवहन, मनोरंजन, वाटर स्पोटर्स आदि में किया जाता है। उपरोक्त प्रयोजनार्थ उपयोग की जाने वाली नौकाओं में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि नौका संचालकों द्वारा राजस्थान नौकायान अधिनियम, 1956 एवं नियम 1957 के प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाए।

चूंकि वर्षाकाल प्रारंभ हो चुका है तथा वर्षाकाल में नौकायन से संबंधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किया जाना और भी आवश्यक हो जाता है। अतः इस परिपेक्ष्य में समस्त संबंधित अधिकारियों को पूर्व में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की निरंतरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य की सीमा में संचालित यात्री परिवहन हेतु प्रयुक्त समस्त नौकाओं की अनुज्ञप्ति, फिटनेस प्रमाण–पत्र, नाविकों के आचरण आदि जांच/परीक्षण यथा समय पूर्ण कर लिया जाए।

आपका ध्यान राजस्थान नौकायान अधिनियम, 1956 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के नियम 4 व 5 में किये गये प्रावधानों की तरफ आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार यात्री परिवहन हेतु प्रयुक्त समस्त नावों को फिटनेस सर्टिफिकेट व लाईसेंस जारी किया जाता है। लाईसेंस की अवधि 1 वर्ष की होती है तथा फिटनेस की अवधि 6 माह के लिए होती है। वर्तमान में विभाग द्वारा जिन सेवानिवृत नौसेना अधिकारियों को सम्पूर्ण राज्य में नावों के निरीक्षण के लिए अधिकृत किया हुआ है उनकी सूची आपको पूर्व में भेजी हुई है। पुनः सुलभ उपलब्धता हेतु संलग्न है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप विभाग द्वारा अधिकृत भूतपूर्व नौसेना अधिकारियों से सम्पर्क कर आपके क्षेत्र में चलने वाली यात्री परिवहन हेतु प्रयुक्त समस्त नावों की भौतिक रूप से जांच कराकर नियमानुसार फिटनेस एवं लाईसेंस जारी करें। यदि भविष्य में किसी गैर फिटनेसशुदा व गैर लाईसेंसशुदा नाव का संचालन पाया जाता है या कोई दुर्घटना हुई तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि किसी नौका को लाईसेंस या फिटनेस नियमानुसार जारी किया हुआ नहीं है तो

उसका संचालन नहीं होने दे तथा उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। यदि आपके परिवहन जिले में कोई भूतपूर्व नौ सेना अधिकारी नौकाओं के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत किये जाने को इच्छुक हो तो उन अधिकारियों के नाम व पता तथा उसकी सहमति एवं अपनी अनुशंसा उपलब्ध कराने का भी श्रम करें ताकि उन्हें भी अधिकृत किया जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जावे व उक्त संवंध में आपके क्षेत्र में की गई कार्यवाही से मुख्यालय को 15 दिवस में अवगत कराया जाए।

संलग्नः– पत्र दिनांक 07.07.2008।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : प 7(112)/परि/नियम/मु0/96/पार्ट–19585–87 जयपुर, दिनांक 24/6/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1.समस्त जिला कलेक्टर ————————।

2.समस्त जिला पुलिस अधीक्षक —————।

4.रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Fax All RTO's 382/3

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7(112)/परि/नियम/मु0/94/ 138578   जयपुर, दिनांक : 09/07/2008
7/7/08

समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
———————————।

विषयः— नौकाओं की फिटनेस एवं लाईसेंस जारी किये जाने बाबत्।

वर्षाकाल प्रारम्भ हो गया है। वर्षा के कारण झीलों एवं नदियों में पानी भर जाने से उसमें नावों का संचालन प्रारम्भ हो गया है। ऐसी स्थिति में नौका संचालन के परिपेक्ष्य में नौकाओं के फिटनेस एवं अनुज्ञप्ति के अभाव में किसी भी क्षण दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। गत समय में घटित दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि तत्काल प्रभाव से राजस्थान नौकायान अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत विनिर्मित नियमों के अधीन राजस्थान राज्य कथी सीमा में संचालित समस्त नौकाओं के परिप्रेक्ष्य में जारी अनुज्ञप्ति एवं फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच कर नियमों के प्रवर्तन को निश्चित कर लिया जावे।

आपका ध्यान राजस्थान नौकायान अधिनियम, 1956 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के नियम 4 व 5 में किये गये प्रावधानों की तरफ आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार समस्त नावों को फिटनैस सर्टिफिकेट व लाईसेंस जारी किया जाता है। लाईसेंस की अवधि 1 वर्ष की होती है तथा फिटनेस की अवधि 6 माह के लिए होती है। वर्तमान में विभाग द्वारा निम्नलिखित विभागीय कर्मचारी व सेवानिवृत नौसेना अधिकारियों को सम्पूर्ण राज्य में नावों के निरीक्षण के लिए अधिकृत किया हुआ है :—

1. श्री वालेन्द्र शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर।
2. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, 9 साकेत, धूलकुट चौराहा, बोहरा गणेशजी मार्ग, उदयपुर।
3. श्री नरोत्तम, 14 सरस्वती नगर, माली कॉलोनी, उदयपुर।
4. श्री रविन्द्र कुमार पाण्ड्या, 73 रोशन नगर, सवीना सेक्टर, 12, पोस्ट सवीना, तहसील गीरवा, जिला उदयपुर।
5. श्री डी.एस. वर्मा, 339 साउथ ब्लॉक, अलवर दूरभाष 2342548
6. श्री गुरुदयाल पुत्र श्री मुन्नालाल, प्लाट नं. 12, बालाजी टाउन खेडली फाटक, कोटा।

राजस्थान नौकायान विनियम नियम के नियम 4 (ख) के अन्तर्गत दिनांक 23.07.03 को एक आदेश जारी कर नाव के स्वामी द्वारा नौसेना अधिकारी को प्रति नाव निरीक्षण हेतु 200 रुपये की राशि भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है।

Scanned by CamScanner